

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

संख्या – 3/स्था०(6) 05/2025 –

/ पटना – 15, दिनांक –

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-2473, दिनांक 04.06.2025 के कंडिका-3 में अंकित "श्री अजित कुमार, कार्यालय परिचारी" के स्थान पर "श्री अरुण कुमार, कार्यालय परिचारी, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना" पढ़ा एवं समझा जाए।

2. उक्त कार्यालय आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 05/2025 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 05/2025 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना एवं संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 05/2025 – 3080

/ पटना – 15, दिनांक – 09/07/2025

प्रतिलिपि – आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/07/25

सरकार के अवर सचिव।